WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालयः— ग्राम न्यायालय, सांचौर, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी — हिम्मत राज (आर.जे.एस.)

फौजदारी मूल प्रकरण संख्या — 16/2023

सी.आई.एस. नंबर — 208/2023

01 राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जालोर

.....अभियोगी

बनाम

01 हरकनराम पुत्र जवानाराम उम्र 43 वर्ष निवासी दुगावा पीएस सांचौर जिला जालोर।

02 डायाराम पुत्र जवानाराम उम्र 35 वर्ष, निवासी दुगावा पीएस सांचौर, जिला जालोर।

.....अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :—

01 विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02 श्री अर्जुन राम देवासी व श्री मदनलाल जाट विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 10.08.2026**

01 प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना सांचौर ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्त हरकनराम वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 व भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया, जो फौजदारी मूल प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ। जिस पर प्रकरण का विचारण पूर्ण होने के पश्चात इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02 प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गोवाराम पुत्र हेमाराम जाति रेबारी उम्र 26 साल निवासी दुगावा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.11.2022 को शाम के 7.40 बजे उसका सगा भाई सांवलाराम उनकी दुकान के आगे स्थित गोगाजी के थान पर अगरबती करने जा रहा था कि मुलजिम हरकन पुत्र जवाना, डाया पुत्र जवाना, जवाना पुत्र अजा, अणदा पुत्र हरकन, वसराम पुत्र हरकन जातियान रेबारी पहले से ही घात लगाकर हथियारों से लैस होकर बोलेरो गाड़ी नंबर

WEB COPY NOT OFFICIAL

जीजे 05 सीई 4750 में सवार होकर बैठे थे। उसका भाई जैसे ही गोगाजी के थान के पास पहुंचा ही था कि सभी मुलजिमानों ने एकराय होकर उसके भाई को जान से खत्म करने के इरादे से बोलेरो गाड़ी से टक्कर मार दी जिससे उसका भाई उछल कर रेत में गिरा तो छाती व पेट पर लगा..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांचौर में मुकदमा नंबर 544/2022 अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण हरकनराम वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03 अभियुक्तगण हरकनराम वगैरह के विरूद्व आरोप–पत्र पेश होने पर अभियुक्तगण हरकनराम वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। बाद बहस चार्ज उक्त अभियुक्तगण को धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझ आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04 अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 डॉ रघुनाथ विश्नोई, पी.डब्ल्यू. 02 गोवाराम, पी.डब्ल्यू. 03 मानसिंह, पी.डब्ल्यू. 04 सांवलाराम, पीडब्ल्यू 05 बगदाराम, पीडब्ल्यू 06 परखाराम के बयान लेखबद्व कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02, घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 03 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05 अभियुक्तगण हरकनराम वगैरह को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने गवाहान् के बयानों का गलत होना एवं स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

06. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस निवेदन किया कि गवाहान् ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्व कर उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गवाहान् के बयानात् में गंभीर विरोधाभास है एवं पारस्परिक सम्पुष्टि का अभाव है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. **कि आपने दिनांक 11.11.2022 के शाम के 7.40 बजे सरहद गांव दुगावा दुकान से आगे स्थित गोगाजी के थान में अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी गोवाराम के भाई सांवलाराम का अपराध कारित करने के आशय से उसका रास्ता रोककर, उसे जिस दिशा में जाना था, उसे उस दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया। आपका उक्त कृत्य धारा 341/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?**
2. **आपने उपरोक्त वर्णित दिनांक, स्थान व समय पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य अग्रसरण में परिवादी गोवाराम के भाई सांवलाराम के साथ थापा–मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियां कारित की। आपका उक्त कृत्य धारा 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है, जो कि मेरे प्रसंज्ञान में है?**
3. **यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा।**

:: विवेचन ::

09. पत्रावली पर आए समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन प्रकरण तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पर संस्थित है, जिसके रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गोवाराम है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 06 गवाह परीक्षित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गोवाराम पी.डब्ल्यू. 02 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 11.11.2022 को शाम के करीब 7.40 बजे की बात है। दुगावा गांव में उनके घर के पास ही दुकानें बनी हुयी हैं। दुकान के पास ही गोगाजी का मन्दिर आया हुआ है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

उसका भाई सांवलाराम गोगाजी के मन्दिर में पूजा करने के लिये जा रहा था जैसे ही व मन्दिर के पास पहुंचा तो हरकन, डायराम, जवानाराम, अणदाराम, वसराम यह सभी उसके भाई को मारने के लिये एक बोलेरो गाड़ी में आये और उसके भाई सांवलाराम के टक्कर मार दी और नीचे उतरकर इन सभी ने उसके भाई के साथ मारपीट की। तभी मारपीट होती देखी गणेशाराम व बगदाराम आये और बीच–बचाव कर उसके भाई को छुडाया। मारपीट से उसके भाई के छीने पर बाये हाथ की कोहनी पर सिर पर चोट आयी थी। वह घर आया तब उसके भाई गणेशाराम ने सारी बात बतायी। पुलिस थाना सांचौर में घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन दी थी जो प्रदर्शपी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को मौका दिखाया था फर्द नक्शा मौका प्रदर्शपी 3 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 02 वकील साहब ने लिखी थी। वक्त घटना वह उसके खेत में था। गाड़ी के पूरे नम्बर उसे याद नहीं है। पीछे 4750 नम्बर थे। उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी, क्योंकि वक्त घटना वह मौके पर नहीं था। सांवलाराम उसका सगाभाई है। पुलिस ने प्रदर्श पी 03 पढ़कर सुनाई थी उसमें क्या लिखा–पढ़ी की उसे आज याद नहीं है।

11. आहत/मजरूब सांवलाराम पी.डब्ल्यू. 04 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 11.11.2022 को 7.30 बजे की बात है। दुगावा गांव में गोगाजी के मंदिर अगरबती करने जा रहा था तभी हरकन, डायाराम, जवानाराम, अणदाराम, वसराम यह सभी अचानक बोलेरो गाडी लेकर आये और उसके टला मार दिया। बाद में यह सभी गाडी से बार निकल कर आये और हरकनराम, व डायाराम के हाथ में लाठी थी जिसने लाठी से उसके साथ मारपीट की तथा बाकी लोगो ने थापों मुक्कों से मारपीट की। मारपीट होती देख मगदाराम व गणेशाराम आये और बीच–बचाव कर उसे छुड़ाया नहीं तो यह उसके साथ ज्यादा मारपीट करते। मारपीट से उसके सीने पर व बांये हाथ की कोहनी पर व सिर पर चोटी आयी थी उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल कर मुआयना करवाया गया था चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि एफआईआर नम्बर 543/2022 पीएस सांचौर का उसके उपर एडीजे न्यायालय सांचौर में मुकदमा चल रहा है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि डायाराम का उसने कुल्हाड़ी से हाथ तोड़ा हो।

WEB COPY NOT OFFICIAL

उसने डायाराम का हाथ तोड़ा हो उसके विरूद्ध मुकदमा हुआ उससे बचने के लिए उसने क्रॉस मुकदमा किया हो। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि मुलजिमान के पास कैम्पर गाड़ी हो अजखुद कहा कि बोलेरो गाड़ी थी। वक्त घटना गणेशाराम व बगदाराम घर पर हो अजखुद कहा कि दुकान पर खड़े थे। वह दुकान से 15–20 फीट दूरी पर था। गवाह अपने बयानों से अभियोजन कहानी की ताईद करता है एवं गवाह की जिरह में कोई गंभीर विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ।

12. चक्षुदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू. 05 बगदाराम अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 11.11.2022 की बात है। शाम को करीब 7:30 बजे की बात है। दुगावा गांव मे गणेशाराम की दुकान पर खड़ा था गणेशाराम भी उसके साथ था। सांवलाराम गोगाजी के थान पर अगरबती करने जा रहा था तभी हरकनराम, डायाराम, अणदाराम, वसराम सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी लेकर आये और सांवलाराम को गाड़ी से टला मारा और इन लोगों ने लाठी व थापों मुक्कों से मारपीट की सांवलाराम के शरीर पर चोटे आयी थी उसने व गणेशाराम ने बीच–बचाव कर छुड़ाया था। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि मारपीट की बात उसे सांवलाराम ने बताई हो अजखुद कहा कि उसने मारपीट होते देखी थी। सुबह 09 बजे वह लाछीवाड़ गजाजी रेबारी के घर पर गया था हाथ पर सीने पर हिचकी पर चोटें आई थी। सिर पर लगी हो तो इतना उसने ध्यान नहीं दिया। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि वक्त घटना वह मौके पर नहीं हो तथा झूठा साक्षी बना हो। उक्त गवाह अभियोजन कहानी एवं मजरूब के बयानों की ताईद करता है। दौराने जिरह कोई गंभीर विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ।

13. चिकित्सकीय गवाह पीडब्ल्यू 01 डॉ0 रघुनाथ विश्नोई अपने न्यायालय बयानों सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 18.11.2022 को सीएचसी सांचौर में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज सांचौर पुलिस तहरीर पर मजरूब सांवलाराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 तैयार किया था। जिस पर ए से बी उसके तथा सी से डी मजरूब सांवलाराम के हस्ताक्षर है। निम्न चोटें आई थीं:– नीलगू 4 गुणा 7 सेमी दांए घुटने के पीछे की तरफ। रगड़ 2 गुणा 3 सेमी बांए कोहनी के पीछे की तरफ। नीलगू 1 गुणा 1 सेमी ललाट पर बांए तरफ। पूरी छाती में दर्द होना जाहिर किया सभी चोटें सामान्य प्रकृति की व भोटे हथियार से कारित थी। दौराने जिरह गवाह इस

WEB COPY NOT OFFICIAL

कथन को सही होना स्वीकार करता है कि चोट संख्या 01 व 02 आंगन पर पीछे की तरफ गिरने से आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति भागता हुआ दीवार से टकराकर पीछे की तरफ गिरे तो यह चोटें आना संभव है।

14. गवाह मानसिंह पी.डब्ल्यू. 03 अपने न्यायालय बयानों सशपथ कथन करता है कि दिनांक 14.11.2022 को सुबह के करीब दस बजे की बात है। दुगावा गांव में गोगाजी के मन्दिर के पास सांवलाराम के साथ मारपीट हुयी थी इस संबंध में उस रोज पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घ ाटना का नक्शा मौका तैयार किया था जो प्रदर्शपी 3 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि पुलिस मौका देखने आई तब वह घर पर हो। अजखुद कहा कि वह दुगावा में था। उसे यह मालूम नहीं कि पुलिस ने किस घटना का मौका देखा था। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसे लिखा–पढ़ी पढ़कर सुनाई हो। पुलिस मौका देखने करीब 10–10.30 बजे आई थी। पुलिस ने गोगाजी के मंदिर के पास मौका देखा था। पुलिस वाले ने मार्क 5, 6, 7, 8, 9 दुकानों को दर्शित किया है। मार्क 11 भी दुकान है। 12, 13 मार्क पर पानी टंकीया बनी हुई है। पुलिस मौका देखने आई तब उसके अलावा और कौन–कौन था आज उसे याद नहीं है।

15. गवाह परखाराम पी.डब्ल्यू. 06 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ कथन करता है कि दिनांक 14.11.2022 को सुबह के करीब 9:50 एएम की बात है। सांवलाराम के साथ ग्राम दुगावा में गोगाजी मंदिर के सामने सांवलराम के साथ मारपीट हुयी इस संबध में पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया था जो प्रदर्श पी 3 है जिसपर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि पुलिस ने नक्शा मौके में क्या लिखा–पढ़ी की उसे जानकारी न हो। मौका देखा तब मानसिंह व गोवाराम भी मौजूद थे। पत्रावली देखकर गवाह ने बताया कि सांवलाराम के साथ नक्शा मौका में एक्स स्थान पर मारपीट हुई थी। घटनास्थल के पश्चिम दिशा में सड़क है तथा पूर्व दिशा में दुकान है। पश्चिम में पांचला से दुगावा जाने वाली रोड़ है।

16. निष्कृषतः पत्रावली पर आई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह प्रकट होता है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 के रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता गोवाराम पी.डब्ल्यू. 02 अपने बयानों में इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 11.12.2022 को अभियुक्तगण द्वारा उसके भाई

WEB COPY NOT OFFICIAL

सांवलाराम का रास्ता रोककर उसके आड़े फिरकर उसके साथ थापा–मुक्कों से मारपीट की जिसकी रिपोर्ट रिपोर्टकर्ता द्वारा पुलिस थाना सांचौर में दर्ज करवाई जो प्रदर्श पी. 02 है। यद्यपि गवाह द्वारा स्वीकार किया गया कि वह घटना के वक्त घटनास्थल पर नहीं था और स्वयं द्वारा घटना नहीं देखने का भी कथन स्वीकार करता है, बावजूद उसके स्वयं द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना में देना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। इसके उपरांत घटना का सबसे अहम गवाह जिसके साथ घटना हुई आहत/मजरूब सांवलाराम पीडब्ल्यू 04 अपने बयानों में इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 11.11.2022 को 7.30 बजे की घटना है। दुगावा गांव में गोगाजी के मंदिर में अगरबती करने जा रहा था तभी अभियुक्तगण गाड़ी से आए और उसके आड़े फिरकर उसका रास्ता रोककर उसके साथ थापों मुक्कों से मारपीट की। मारपीट होती देख बगदाराम व गणेशाराम आए और बीच–बचाव कर अभियुक्तगण से उसे छुड़ाया। मारपीट से उसके सीने पर व बांए हाथ की कोहनी पर व सिर पर चोट आई थी। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की गई। चक्षुदर्शी गवाह बगदाराम पी.डब्ल्यू. 05 द्वारा इसी प्रकार रिपोर्टकर्ता के बयानों की ताईद करते हुए कथन करता है कि दिनांक 11.11.2022 को दुगावा गांव में गणेशाराम की दुकान पर खड़ा था गणेशाराम भी उसके साथ था सांवलाराम गोगा जी के थान पर अगरबती करने जा रहा था तभी अभियुक्तगण द्वारा आहत/मजरूब सांवलाराम आडे फिरकर उसके साथ थापा–मुक्कों से मारपीट की गई, तब उसने व गणेशाराम ने बीच–बचाव कर छुड़ाया था। विशेषज्ञ साक्ष्य चिकित्सक डॉ रघुनाथ विश्नोई के द्वारा भी अपने बयानों में स्पष्ट किया गया कि आहत/मजरूब सांवलाराम का चोट प्रतिवदन 18.11.2022 को तैयार किया, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 01 की सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी एवं भोठे हथियार से कारित थी। इस स्तर पर पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि घटना 11.11.2022 की है एवं संलग्न चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 दिनांक 18. 11.2022 को तैयार किया गया था, जिसमें चोटों की अवधि 4–10 दिनों के भीतर की दर्शायी है जो कि न्यायालय के मत में वक्त घटना समय अनुसार पूर्ण रूप से मेल खाती है। रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता के बयानों की महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी गवाह द्वारा पूर्ण रूप से ताईद की गई है। दौराने जिरह गवाहों के बयानों में ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास प्रकट नहीं होता है जिससे की अभियोजन कहानी की यथातवादिता एवं सत्यता पर किसी प्रकार कोई संदेह उत्पन्न होता हो। अतः

WEB COPY NOT OFFICIAL

उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों से न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण हरकनराम पुत्र जवानाराम जाति 02. डायाराम पुत्र जवानाराम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है परिणामस्वरूप अभियुक्तगण हरकनराम पुत्र जवानाराम जाति 02. डायाराम पुत्र जवानाराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

::—आदेश—::

17. परिणामतः अभियुक्तगण 1. हरकनराम पुत्र जवानाराम उम्र 43 वर्ष निवासी दुगावा पीएस सांचौर जिला जालोर। 02. डायाराम पुत्र जवानाराम उम्र 35 वर्ष, निवासी दुगावा पीएस सांचौर, जिला जालोर। को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके स्वतः निरस्त समझे जावे।

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला—जालोर

<u>सजा का बिन्दु :—</u>

18. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियक्तगण ने कथन किया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाए।

19. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त के विरूद्व पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। न ही ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध है जिससे की यह प्रकट हो कि मुलजिम द्वारा पूर्व में परीविक्षा अधिनियम का लाभ लिया गया हो। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04 एवं 05 के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>:: आदेश ::</u>

20. अतः अभियुक्तगण 1. हरकनराम पुत्र जवानाराम उम्र 43 वर्ष निवासी दुगावा पीएस सांचौर जिला जालोर। 02. डायाराम पुत्र जवानाराम उम्र 35 वर्ष, निवासी

WEB COPY NOT OFFICIAL

दुगावा पीएस सांचौर, जिला जालोर। को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341 व 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की दोषसिद्धि में धारा 04 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ देते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त रुपये 10,000/– की जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए इस न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय का पेश कर तस्दीक करावे कि उक्त अवधि में परिशांति बनाए रखेगा व सदाचारी बने रहेंगे, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे व न्यायालय द्वारा आहुत किए जाने पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

21. धारा 05 आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त रुपये 4,000/– (अक्षरे दो चार रुपये) कुल राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे आठ हजार रुपये) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे जो क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं जो बाद गुजरने मियाद अपील मजरूब को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जावे। आहत/मजरूब सांवलाराम को उपरोक्तानुसार प्रदान किया गया प्रतिकर न्यायालय के मत में पर्याप्त होने से न्यायालय द्वारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत अनुशंषा नहीं की जा रही है।

22. अभियुक्तगण को धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10,000/–रूपये के जमानत व मुचलके प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, जो कि 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला–जालोर।

23. निर्णय आज दिनांक 10.08.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24. निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पक्षकारान् को निःशुल्क दी गई।

(हिम्मत राज)
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय,
सांचौर, जिला–जालोर।